



व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) BOARD OF PRACTICAL TRAINING (EASTERN REGION)

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग के अधीन
UNDER MINISTRY OF EDUCATION, GOVT. OF INDIA, DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION



सशक्त युवा, समर्थ भारत
www.mhrdnats.gov.in

बीओपीटी/डीटी/2023-24/

01.04.2023

सेवा में,

सभी सूचीबद्ध टीपीए और नियुक्त भागीदार

विषय: छात्र द्वारा स्थापना को वैध एनएटीएस नामांकन आईडी प्रदान करने के बाद ही एनएटीएस के तहत प्रशिक्षुओं को शामिल होने की अनुमति देना।

महोदय,

हम वर्ष 2022-23 के लिए एनएटीएस में आपके योगदान की सराहना करते हैं और आशा करते हैं कि आपकी निरंतर मदद और समर्थन से हम वर्ष 2023-24 में इस पहल को और मजबूत करेंगे।

उपरोक्त विषय का संदर्भ में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि चूंकि वर्ष 2022-23 स्नातक प्रशिक्षुओं (सामान्य स्ट्रीम) के लिए एनएटीएस के कार्यान्वयन का पहला वर्ष था और कई मामलों में प्रशिक्षु 15.08.2022 को क्षेत्रीय पोर्टल के लॉन्च से पहले ही प्रशिक्षण में शामिल हो गए थे और आपके स्थापना और टीपीए भागीदारों की कठिनाइयों को देखते हुए, एनएटीएस पोर्टल में कई छूट की अनुमति दी गई। हालांकि, इन छूटों ने उन छात्रों से संबंधित समस्याएं पैदा कर दी हैं, जिन्होंने एनएटीएस पोर्टल और अन्य बाद के मुद्दों पर अपने नामांकन/प्रशिक्षु के रूप में शामिल होने के बारे में कोई जानकारी नहीं होने की सूचना दी थी। इसका एकमात्र कारण यह है कि छात्रों ने स्वयं नामांकन नहीं किया है, बल्कि उन्हें छात्रों की ओर से स्थापना प्रतिनिधियों/टीपीए द्वारा नामांकित किया गया है।

इसलिए, वर्ष 2023-24 के लिए, छात्रों की ऐसी शिकायतों को कम करने के लिए पोर्टल में कुछ छूट वापस ले ली गई हैं। यह देखा गया है कि पोर्टल में छात्रों के नामांकन में छात्रों की सही ईमेल-आईडी और मोबाइल नंबर नहीं है जो छात्रों की पहचान के सत्यापन का एक हिस्सा है। इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी छात्र नामांकन जहां छात्रों को गलत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ नामांकित किया गया है, उन्हें एनएटीएस पोर्टल पर आगे पंजीकरण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए, आपसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके स्थापना में शामिल होने की अनुमति देने से पहले सभी प्रशिक्षुओं को उनके शामिल होने के दिन एनएटीएस पोर्टल पर वैध नामांकन आईडी के साथ तैयार आना होगा, ताकि उनकी पहचान के सत्यापन के उद्देश्य से व्यक्तिगत छात्रों की सही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पोर्टल में दर्ज किया जा सके। यह निर्णय एनएटीएस इको-सिस्टम के सर्वोत्तम हित के लिए और एनएटीएस नामांकन/पंजीकरण पर उनकी अनभिज्ञता के बारे में छात्रों की शिकायतों को कम करने के लिए लिया गया है।

आशा है कि उपर्युक्त निर्देश का तत्काल प्रभाव से कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसलिए, किसी भी अनुबंध को बीओपीटी द्वारा 16.05.2023 से प्रभावी उनके पहचान प्रमाण के समर्थन में छात्रों के सही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और अन्य दस्तावेजों/जानकारी को सत्यापित किए बिना अनुमोदित नहीं किया जाएगा।

धन्यवाद।

आपका विश्वासी,

निदेशक



ब्लॉक - ईए, सेक्टर -1 (लाबोनी संपदा के विपरीत), साल्ट लेक सिटी, कोलकाता - 700 064, दूरभाष /Phone - (033) 2337-0750/51, फैक्स /Fax - (033) 2321-6814
Block - EA, Sector - I (Opposite. Labony Estate), Salt Lake City, Kolkata - 700 064, ई-मेल /E-mail - inf@bopter.gov.in, वेबसाइट/website - www.bopter.gov.in

Download Mobile App

